5रु. भारत पाँच रुपये ... Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित

83

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 9013 /एक/2016 विविध 9013-PBR/16

दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर

व्दारा के0सी0जैन प्रबंधक, ग्वालियर

डेयरी लिमिटेड जिला ग्वालियर ---आवेदक

श्री जी.पी. नायक एड. को द्वारा आज दि. 6-7-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

व्दारा कलेक्टर ग्वालियर ---अनावेदक

(विविध आवेदन अंतर्गत धारा 8 म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 एंव व्यवहार प्रकिया संहिता, 151 – न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 9050-पीबीआर/2016 विविध में पारित आदेश दिनॉक 20-4-2016 का पालन कराये जाने वावत्)

कृ0पृ030-2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 9013 –पीबीआर/2016 विविध जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-7-16	यह विविध आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 9050–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 20–4–2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। 2/ विविध आवेदन में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1668–दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20–3–2008 से तथा अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 23–पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2013 से ग्राम लोहारपुरा स्थित कुल किता 38 कुल रकबा 84 वीघा 11 विसवा भूमि आवेदक संस्था की होना प्रमाणित है। 3/ आवेदक व्दारा विविध आवेदन में की गई मांग अनुसार एंव आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार यह भी पाया गया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1668–दो/2007 में पारित आदेश दिनांक	

20-3-2008 तथा अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 23-पीबीआर/2010 में पारित 25-6-2013 का तहसील-स्तर के राजस्व अमले व्दारा पालन न करने के कारण आवेदक संस्था ने राजस्व मण्डल में प्रकरण कमांक 9050-- पी0बी0आर0/2016 विविध दायर किया जो आदेश दिनांक 20-4-16 से निर्णीत होकर तहसीलदार मुरार को आदेश दिये गये हैं कि वाद वाद विचारित भूमि के कम्प्युटराईज्ड खसरों में डयेरी के स्वामित्व की प्रविष्टि कराई जाय, किन्तु उक्त प्रविष्टि आज तक नहीं की गई एंव वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन/पालन नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार मुरार को निर्देश दिये जाते हैं कि -

1. राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1668-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20-3-2008 का एंव अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 23-पीबीआर/2010 में पारित 25-6-2013 के पालन में पटवारी के हस्तलिखित खसरे में अमल कराया जाय।
2. वाद विचारित भूमि के कम्प्युटराईज्ड खसरों में भूमिस्वामी के कालम में दि ग्वालियर डेयरी लिमिटड ग्वालियर प्रवंधक के नाम की प्रविष्टि दर्ज कराई जावे।

4/ तद्नुसार विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही शेष न रहने से इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य